



राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
दूरभाष 0141-2601727 ई-मेल addr.dme-ri@gov.in

प.7(22) / चि.शि.नि. / एके / 2013 / पार्ट 1 / 2464

दिनांक 1-6-2021

संयोजक,
नीट स्टेट पीजी काउन्सलिंग बोर्ड
राज. जयपुर

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,
मेडिकल कॉलेज जयपुर / बीकानेर / जोधपुर
अजमेर / झालावाड / कोटा / उदयपुर
आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सेस

विषय:- पी.जी. कोर्स के सर्विस बॉण्ड के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक 7(86)CM/HM/Budget / चि.शि.नि. / 2015 दिनांक 24.2.2015 एवं पत्र क्रमांक 7(86)CM/HM/Budget / चि.शि.नि. / 2015 / 659 दिनांक 17.2.2016 के द्वारा मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को पाँच साल की राज्यसेवा करने का सशर्त बॉण्ड भरवाए जाने का प्रावधान किया गया था।

पूर्व में इस निदेशालय के पत्र क्रमांक प.7(22)पीजी / चि.शि.नि. / एके / 2013 / पार्ट 1 / 981 दिनांक 20.2.2018 के द्वारा ऑल इण्डिया कोटे के द्वारा राजस्थान राज्य में पी.जी. कोर्स में चयनित होने वाले ऐसे उम्मीदवार जो पहले से ही ईएसआई के द्वारा सर्विस बॉण्ड के अनुबन्ध में है, को वर्ष 2018-19 से सर्विस बॉण्ड से मुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

इसी क्रम में पी.जी. कोर्स में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो कि अन्य राज्य सरकारों / केन्द्र सरकार के अधीन सेवा में है तथा संबंधित सरकार के अधीन सर्विस बॉण्ड के अनुबन्ध में है, को उपरोक्त सर्विस बॉण्ड से मुक्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
यह उच्च स्तर से अनुमोदित है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त (एम.ई)

प.7(22) / चि.शि.नि. / एके / 2013 / पार्ट 1 /

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त (एम.ई) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. अति० निदेशक (प्रशा०) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राज.स्वा. वि.विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अति० निदेशक (एके) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. उप निदेशक (एके) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. उप निदेशक (एके) राजमेस निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

६०

आयुक्त (एम.ई)